नकली नोटों का पता लगाना और उनको संभालना

भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 20 जुलाई, 2016 के मास्टर परिपत्र के अनुसार, बैंकों को नकली नोटों का पता लगाने और जब्त करने का निर्देश दिया गया है। परिपत्र में जारी अनुदेश निम्नानुसार हैं:

1. नकली नोटों का पता लगाना:

a. थोक निविदाओं के माध्यम से काउंटर पर जमा किए गए / सीधे बैक ऑफिस में प्राप्त / थोक टेंडर के माध्यम से करेंसी चेस्ट पर संग्रहीत किए बैंक नोटों की प्रामाणिकता के लिए मशीनों के माध्यम से जांच की जानी चाहिए।

b. काउंटर पर या बैक-ऑफिस/करेंसी चेस्ट पर प्राप्त टेंडर में पाए गए जाली नोटों, यदि कोई हो, के लिए ग्राहक के खाते में कोई क्रेडिट नहीं दिया जाना है।

c. नकली नोटों को प्रस्तुतकर्ता को वापस नहीं किया जाना चाहिए या बैंक शाखाओं/ खजानों द्वारा नष्ट नहीं किया जाना चाहिए।

2. नकली नोटों को जब्त करना:

नकली नोट साबित हो चुके निर्णीत किए गए नोटों को "नकली नोट" के रूप में मुद्रित किया जाएगा और आरबीआई द्वारा निर्धारित प्रारूप में जब्त किया जाएगा । जब्त किए गए प्रत्येक नोट को प्रमाणीकरण के तहत एक अलग रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा।

3. प्रस्तुतकर्ता को रसीद जारी करना:

a. जब किसी बैंक शाखा/बैक ऑफिस और करेंसी चेस्ट या ट्रेजरी के काउंटर पर दिया गया कोई बैंक नोट नकली पाया जाता है, तो प्रस्तुतकर्ता को पावती रसीद अवश्य इसजारी की जानी चाहिए।

b. रसीद उन मामलों में भी जारी की जानी है जहां निविदाकर्ता इसे प्रतिहस्ताक्षरित करने के लिए तैयार नहीं है।

टिप्पणी: अंतिम बार फरवरी, 2018 में अपडेट किया गया।